



भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर के रीजनल डायरेक्टर शेंडे ने दी जानकारी

री-केवाईसी नहीं की, तो रुक जाएगा सरकारी लाभ

लोकमत समाचार सेवा

नागपुर : सामान्य खातों की री-केवाईसी हर 10 वर्षों के भीतर करना अनिवार्य होता है. ऐसा नहीं किया गया तो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ खाते में जमा होने से रुक सकता है. यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर सचिन वाई. शेंडे ने दी है. वे यहां बुधवार को आरबीआई में आयोजित पत्रपरिषद दौरान बोल रहे थे. इस समय डीजीएम अंजना श्यामनाथ, एजीएम विनोद कुमार, एजीएम पीयूष तेलरांधे, पीएसवी सुधाकर, महेश थुल भी उपस्थित थे.

रिजर्व बैंक और वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, नागपुर के नेतृत्व में देशभर के बैंकों द्वारा एक जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं के तहत बैंक खातों की री-केवाईसी और नए पीएमजेडीवाई खाते खोलने की



सचिन वाई. शेंडे

विदर्भ में अब तक 5911 कैंप लगाए, 2.77 लाख खातों को किया गया अपडेट

ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन और री-केवाईसी के लिए आरबीआई मुहताद

प्रक्रिया चल रही है. अभियान का उद्देश्य पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में नामांकन को बढ़ावा देना और खाताधारकों को उनके

बुधवार तक देश में 1.95 करोड़ खाते अपडेट

रिपोर्ट के अनुसार नौ सितंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान में 2.18 लाख शिविर आयोजित किए गए और 1.95 करोड़ खातों की री-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरी की गई. विदर्भ क्षेत्र में अब तक 5,911 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 2.77 लाख से अधिक खातों को अपडेट किया गया.

बैंक खातों में जमा किए गए लाभों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित कराना है.

आरबीआई के नागपुर के रीजनल डायरेक्टर शेंडे ने विदर्भ के 11 में से 9 जिलों में आयोजित किए गए 20 शिविरों में भाग लिया और री-केवाईसी के महत्व और

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि वे आगामी दिनों में गढ़चिरोली और चंद्रपुर जिले के सुदूर गांवों में आयोजित होने वाले शिविरों में भी पहुंचेंगे और बैंक ग्राहकों, स्वयं सहायता समूहों, बीसी, छात्रों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ संवाद साधेंगे. अभियान के तहत नागपुर और अमरावती में मोबाइल एलईडी वैन भी तैनात की गई हैं, जिससे दूरदराज की आवादी तक जागरूकता पहुंच सके.

रिजर्व बैंक की तरफ से खाता धारकों से अपील की गई है कि वे अपनी री-केवाईसी औपचारिकताएं जल्द पूरा करें, ताकि निर्बाध बैंकिंग सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके. यह अभियान आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसके लिए पंचायत स्तरों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. साथ ही खाता धारक अपनी बैंक शाखाओं में जाकर भी यह कार्य पूर्ण कर सकते हैं.